श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें।

श्री अमर सिंह: सर, सवाल ही पूछ रहा हूं। इन लोगों के बारे में जो पूछताछ हुई, जानकारी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो सदस्य इस मामले में पकड़े गए, उनकी जांच के क्या नतीजे हैं?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, so far as the last part of the question is concerned, the hon. Member is aware of it that those who are involved in some of them are Members of Lok Sabha. The hon. Speaker appointed a Committee. On the basis of the findings of that Committee, as Leader of that House, I had to move a Resolution for the expulsion of that Member concerned from that House. In a couple of other cases, still the Committee is looking into it. This is very unfortunate. It should not have happened. But, unfortunately, it has happened. And, thereafter, of course, the law of the land will take place. But so far as the Parliament is concerned, this measure has already been taken.

As regards the second question, yes, there is a coordination mechanism, and we are trying to impress upon them that you must strictly enforce it. Very recently, a large number of Indians have gone to the Gulf countries. And with the cooperation of the State Governments, from where these persons are coming, and with the cooperation of the country concerned, we have ensured that they are released. Their law is a bit stringent. They were in jail. We took the initiative, and they have been released one time. Benefit has been given to them; they have been released; they have been allowed to come back. Measures of this type are constantly being taken, but the problem is really serious.

Bacterial Contamination in Rivers

*243. SHRI MAHENDRA MOHAN:††
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether the Central Pollution Control Board (CPCB) has recently revealed that most of the rivers and water bodies in the country contain in alarming level of bacterial contamination;
 - (b) if so, the facts thereof;
- (c) whether the CPCB has since proposed any steps to check the filth of rivers and to prevent them from bacterial contamination; and
 - (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Central Pollution Control Board (CPCB) along with the State Pollution Control Boards (SPCBs) is monitoring the water quality of rivers and other water bodies at 1365

^{††}The question was actually asked on the floor of the House by [Mahendra Mohan].

locations covering 27 States and 6 Union Territories. The monitoring network covers 282 rivers besides a number of lakes, tanks, ponds, *etc.*

Bacterial contamination is measured in terms of counts of Coliform group of bacteria of fecal origin. The maximum permissible limit and desirable limits for fecal coliform count for bathing waters has been notified as 2500 Most Probable Number (MPN) per 100 millilitre (ml) and 500 MPN/100 ml respectively. As per CPCB's data, the fecal coliform count is reported to be more than 2500 MPN/100 ml in 15.7% of water samples, between 500 and 2500 MPN/100 ml in 18.3% samples and less than 500 MPN/100 ml in 66% samples during the year 2007. The same, thus, is observed to comply with the standards in more than 66% of water samples. As per this data, Mahi, Subernarekha, Pennar, Beas, Baitarni and Narmada, are some of the rivers found to be relatively clean with fecal coliform levels meeting the maximum permissible limits. In selected stretches of Yamuna, Kali, Hindon, Damodar, Tons, Ganga, Satluj, Gomti, Sabarmati, Krishna, Godavari, Cauvery etc, the bacterial levels are found to exceed the permissible limits.

Bacterial contamination of water bodies occurs mainly due to the discharge of untreated domestic wastewater from urban centres. Other non-point sources such as in-stream bathing, open defecation near banks, dead body dumping, cattle washing etc also contribute to the bacterial contamination. This is also affected when the recipient water bodies do not have sufficient fresh water flow for dilution.

(c) and (d) The CPCB had initially carried out the river basin studies of the major rivers in the country and on the basis of these studies, Ganga Action Plan Phase I was launched in 1985 at Varanasi. Subsequently, based on CPCB's identification of polluted stretches along the rivers, other River Action Plans have been formulated and implemented under the National River Conservation Plan (NRCP), which now covers identified polluted stretches on 35 rivers in 164 towns spread over 20 States.

Besides the NRCP, other centrally sponsored programmes for sewerage and sewage treatment of domestic wastewater include the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) under the Union Ministry of Urban Development.

Conservation of rivers is a dynamic activity with an ever increasing pollution load due to increase in population. Review of strategies of conservation of rivers is a continuous process. The Central Government has initiated an exercise for revamping the river conservation strategy to promote a holistic and integrated approach. The proposal for revamped strategy includes among others, focusing on quantity of the river water as much as on the quality, redesigning institutional arrangements at the National and State levels, developing suitable indicators for measuring water quality, integration with urban development plans.

श्री महेन्द्र मोहन: सभापित जी, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे सारी जानकारियां प्राप्त नहीं हो रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त पर्यावरण की हालत बहुत खराब है और निदयों में प्रदूषण अत्यधिक है। महोदय, इतने वर्षों के प्रयास के बावजूद प्लानिंग कमीशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट waste water management के बारे में आई थी, उसमें लिखा गया था कि only 30 per cent of waste water released in

Indian rivers and lakes is being treated. और अभी भी 70 परसेंट अन-ट्रीटेड वेस्ट उनमें जा रहा है जिसके कारण जहां वर्ष 1999 में बैक्टीरियल पॉल्यूशन 48 परसेंट हुआ करता था, इस समय पर 53 परसेंट हो गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां देश की तमाम निदयों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, विशेष रूप से गंगा नदी जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया है, उसमें भी प्रदूषण में कोई कमी नहीं आ रही है। महोदय, आज वाराणसी और कानपुर में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि वहां का पानी नहाने के योग्य भी नहीं रहा है।

श्री सभापतिः आप सवाल पुछिए।

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय सभापति जी, जब तक जानकारी नहीं दूंगा वह उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए थोडीसी जानकारी देना आवश्यक है।

श्री सभापतिः नहीं, देखिए, our time is very precious. Please put the supplementaries.

श्री महेन्द्र मोहनः महोदय, वैळ्ानिकों के मुताबिक तथा वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन के अध्ययन से बैक्टीरियल काउंट वाराणसी में 4 हजार गुणा से 10 हजार गुणा भी चल रहा है। इस कारण अनेक बीमारियां जैसे कॉलरा, हैपीटाइटिस फैल रही हैं।

श्री सभापतिः सवाल क्या है?

श्री महेन्द्र मोहन: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए — वहां पानी में बैक्टीरियाज कैसे कम हों, कैसे इन निदयों का प्रदूषण कम हो, इस के लिए आप क्या कर रहे हैं? महोदय, सिर्फ घोषित कर देने से कुछ नहीं होगा, आप क्या कर रहे हैं इस बारे में जानकारी दें?

MR. CHAIRMAN: Before the hon. Minister replies, I would like to request the hon. Members that supplementaries are intended to follow from the main question, and supplementaries are questions, not statements. We take too much of our precious time in the preliminary statement. Please go ahead, Sir. ...(Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, long answers also take a lot of time.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, please tell the Minister also.

श्री नमो नारायण मीणा: सर, माननीय सदस्य ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए प्रश्न पूछा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रति वर्ष वाटर क्वालिटी इन इंडिया पर एक स्टेट्स रिपोर्ट निकालता है जिस के आधार पर हमारी वाटर बॉडीज जिन में निदयां, झील और टैंक्स आते हैं, उनकी स्थिति बताई गई है। महोदय, इन्होंने specially bacterial contamination के बारे में पूछा था जिसकी स्थिति हम ने बता दी है। जहां तक इसको रोकने का सवाल है, इसमें हमारी नेशनल रिवर कंजरवेशन स्कीम चल रही है। पहले जो सेंट्रल पोल्युशन बोर्ड की जो स्टडीज आती हैं, उसके आधार पर हमारी सारी योजनाएं बनती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने डीपीआरएस बनाती हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी असिस्टेंस बनती है, वह देती है, मगर चूंकि यह स्टेट सब्जेक्ट है वाटर, This is a State subject. It is the responsibility of the State Government. We are also supplementing from the Government of India.

सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य से मैं सहमत हूँ कि हमारे देश की निदयों में जो पोल्युशन लोड है वह 33 हजार एमएलडी है, जबिक हम लोगों के पास में ट्रीटमेंट कैपेसिटी केवल 7 हजार एमएलडी की है।

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारे यहां इधर 33 हजार एमएलडी की पोल्युशन पैदा करने की गंदगी जा रही है और वहीं हमारे पास केवल 7 हजार का यह सिस्टम है, तो क्या इसमें यह बहुत आवश्यक नहीं हो जाता कि आगे कार्य को बढ़ाया जाए? मैं यह मानता हूँ कि यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन गंगा नदी में, जिसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका है, उसमें अभी भी कानपुर, कन्नौज, वाराणसी और काली नदी यमुना में जो गंदे नालों का पानी जा रहा है, घरेलू कचरा जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विशेष रूप से

पिछले एक साल में क्या कार्य किया गया है? हम कब तक यह उम्मीद करें कि राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद गंगा का प्रदूषण समाप्त होगा? इसके बारे में में जानना चाहूंगा।

श्री नमो नारायण मीणाः सभापित महोदय, गंगा के बारे में फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस चले हैं और उसमें मार्जिनल इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। माननीय सदस्य को खुद यह जानकारी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने 4 नवंबर को एक बैठक ली और उसमें गंगा नदी को नेशनल रिवर घोषित किया और गंगा रिवर बेसिन अथोरिटी क्रिएट करने का फैसला किया। खुद प्रधान मंत्री जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसको एज ए होलेस्टिक वे में इसमें फ्लड मैनेजमेंट भी हो, सस्टेनेबल यूस भी हो, पोल्युशन एबेटमेंट भी हों, उसकी परस्युएन्स में जो बेसिन हैं, उनके लिए चीफ सेक्रेटरीज लेवल पर भी मीटिंग हो चुकी है और आगे मुख्य-मंत्रियों की भी बैठक की जाए, तािक नदी को इस तरह से होलेस्टिक वे में लेकर किस तरह से काम किया जाए, विचार हो और अभी यह गंगा एक्शन प्लान में और नेशनल रिवर स्कीम में हम इनको पैसा दे दें। डीपीआरएस हमारी मंजूर हो चुकी हैं और गंगा में चार हजार एमएलडी कैपेसिटी हमने अभी तक कर दी है और जो यह दूसरा गेप है, उसमें 999 एमएलडी का काम चल रहा है। हम होपफुली समझते हैं कि सबसे मिलजुल कर इस नदी को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वयं प्रधान मंत्री जी इसमें इनीसिएटिव ले रहे हैं।

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, the CPCB studies indicate that the waste water generation in urban India has more than doubled in the last ten years and yet the Minister has himself accepted that the capacity to treat this has actually fallen from 39 per cent to 24 per cent. This is quite alarming because we have not kept pace with the growing urbanisation in terms of dealing with our waste water. There are certain lacunae in our laws which also point towards this negligence. For instance, it is not mandatory in India for the municipal bodies to release only treated waste water into our water bodies. So, would the Minister consider any amendment in the Water Act of 1974 to ensure that the CPCB has a say in terms of water that is released and in terms of withholding funds released to the municipal bodies unless they release treated water?

श्री नमो नारायण मीणा: माननीय सदस्य का सवाल बहुत ही अच्छा है और इससे पता चलता है कि इसमें कुछ होना चाहिए। वाटर स्टेट सब्जैक्ट है। एक वाटर एक्ट ही है जिसकी जिम्मेदारी भी State Governments और Local Bodies की है कि वे निदयों, ळाीलों और Water Bodies को क्लीन रखेंगे। भारत सरकार supplement कर रही है।...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बद्यन: सर, गंगा तो पूरे देश की है, किसी एक स्टेट की तो नहीं है।

श्री नमो नारायण मीणा: यह बात जरूर है कि कानून में कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है। Water Bodies के बारे में Environment Protection Act में भी कुछ directions दिये जा सकते हैं। कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया, यह विचार करने के काबिल है।

जहाँ तक funds का सवाल है, Jawaharlal Nehru Renewable Mission देश के सारे बड़े टाउन्स में चल रहा है। गंगा रिवर में पांच-छ: ऐसे बड़े टाउन्स हैं जिनमें इस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। इसको भारत सरकार कर रही है और State Governments को भी इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट, State Governments और Municipalities, सब कर सकते हैं।

DR. K. MALAISAMY: Sir, when I was a Member of the Public Accounts Committee as Lok Sabha MP, we visited a number of major rivers under execution under this scheme. I have got some experience of it when it was under execution. According to the reply of the hon. Minister, the Ganga Action Plan was launched in 1985. Now more than 22 years have passed. The reply

further says that 35 other rivers have also been identified under this scheme. What is the stage of the Ganga Action Plan? The Minister says that it is Phase-1. Are there any more phases? Then what is the stage of other 35 rivers? I would also like to know about the stage of Ganga Action Plan. How much is the allocation of funds given under this scheme? What is the timeframe?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Regarding the Ganga, first and second mainstream rivers, towns covered — 73; States covered — 5. We have sanctioned Rs. 1026 crores and the amount released by the Government of India is Rs. 825 crores. The total number of schemes sanctioned for the Ganga is 572, out of that 445 have been completed. The work is going on. We are releasing funds to the State Governments as per the DPRs.

श्री कमाल अख्तर: शुक्रिया सर, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि गंगा अभी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। उसमें जितना भी प्रदूषण होता है, वह उसमें मिलने वाली नदियों या नालों से होता है। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 20 राज्यों में 164 शहरों की 35 नदियों की पहचान की गई है जो उसको प्रदूषित कर रही हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार से जब गंगा निकलती है तो अगर सबसे पहले उसमें पॉल्यूशन होता है तो वह गजरौला की औद्योगिक इकाइयाँ, जो बगद नदी के अंदर पड़ती हैं, उनसे होता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 164 शहरों में इन 35 नदियों की पहचान की है, क्या उनमें बगद नदी भी शामिल है?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Whether a particular river is there or not, I will give this reply to the hon. Member. But the NRCP work is going on. Sir, I will send the reply to the Member.

श्री कमाल अख्तर: सर, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर Half-an-Hour discussion हो चुका है। अभी प्रधान मंत्री जी की ओर से — उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। अगर जिस नदी से सबसे पहले पॉल्यूशन हो रहा है, उसी नदी को नहीं लिया जाएगा — मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसे नहीं लिया गया है। मैं अनुरोध करूँगा कि मंत्री जी उसको ले लें।

श्री नमो नारायण मीणाः आपको हमने पहले बताया कि Ganga River basin को cover करने की revamping scheme चल रही है, जो भी गंगा की tributaries होंगी, अगर इसमें नहीं हैं, they will all be covered.

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, I will not make a statement. I will straight away come to the supplementary.

In the context of what is being discussed, would the Government seriously consider implementation of the old proposal, of linking the major rivers of the country, of what was popularly called as Garland Canal Project? Bringing the waters of Ganges right up to Cauvery, it will have an effect of reducing the river pollution.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, it is a good supplementary. But the hon. Minister should address it to the concerned Minister.

बी.पी.एल. निर्धारण संबंधी मापदंड

*244. डा. मुरली मनोहर जोशी:†† श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

††सभा में यह प्रश्न श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी द्वारा पूछा गया।